आजादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः एफ 6(23)/प्र.सु./अनु–3/1999 जयपुर, दिनांकः– 13.6.22

:–आज्ञाः–

पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित किए गए राज्य सेवा के अधिकरियों के मामलों का पुनर्विलोकन करने हेतु पूर्व में दिनांक 28.07.2008 को जारी दोनों आज्ञाओं को अतिक्रमित करते हुये पुनर्विलोकन समिति को माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नानुसार पुर्नगठित किया जाता है:–

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्वयं अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
3. सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव	सदस्य
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक	सदस्य सचिव

समिति तीन वर्ष से अधिक के निलम्बन के मामलों का पुनरावलोकन करेगी।

राज्य सेवा के अधिकारियों के प्रकरण जिन्हें पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्व आपराधिक मामलों में निलम्बित किये तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है, समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर उनका पुनर्विलोकन किया जावेगा। तीन वर्ष की अवधि की गणना आरोपित अधिकारी के निलग्बन तिथि से की जायेगी।

समिति की बैठक 6 माह में एक बार अवश्य होगी तथा समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरण के संबंध में तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग होगा।

आज्ञा से
13/06/22
(के.आर.मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय/माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय/शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग।
3. समस्त (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
4. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियॉ समस्त सम्बन्धित सदस्यो को भिजवाने हेतु प्रेषित है।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
7. रक्षित पत्रावली।

13/06/22
शासन उप सचिव